पंजीकृत पावती कारण बताओ नोटिस

माखुपूरा औद्वोगिक क्षेत्र,



Ajmer- 305 002 (Rajasthan) फैक्स नं 0145.2695202 फोन नं 2695165



भारत सरकार Government of India खान मंत्रालय Ministry of Mines भारतीय खान ब्यूरो

Indian Bureau of Mines

Mine Code: 38RAJ21012

संख्या : RAJ/PALI-47/LST-05

दिनांक : 01.07.2022

HOW THEI THEST-05

प्रेषित : Agent, Digrana Limestone Mine

M/s Nuvoco Vistas Corporation Ltd. (Formerly Nirma Ltd.),

Village-Nimbol, Tehsil-Jaitaran, District-Pali (Rajasthan) 306 308

(e-mail: amit.pidiha@nuvoco.com, nititn.purohit@nuvoco.com)

विषय: Violation of provisions of Mineral Conservation & Development Rules, 2017 in respect of your **Digrana Limestone Mine** (M.L. 377/90, Lease area 100.0Hect.) in Pali District of Rajasthan State.

महोदय,

The following provisions of the Mineral Conservation and Development Rules, 2017 were found violated in your above mine during the inspection made on 25.04.2022 by the undersigned in presence of Sh. Nitin Purohit, AGM(Mines) & Sh. Rajesh Bora, Mine Manager:

Rule No.	Nature of violation observed in detail
Rule 45(7)	 In annual return 2020-21 following descripencies were observed: Under item 12 of Part-I, the work done under PMCP during the year has not been shwon. In part II-A, the depreciation of the fixed assets during the year reported Rs. 46201677 whereas in Part-III it is reported as Rs. 2338478. Further in Part-VII, the cost per tonne under head depreciation has been taken into account Rs. 2338478. Under item 5 of Part III, DMF & NMET amount paid during the year has not been reported. In part VII, cost of production per tonne reported Rs. 512.39 whereas in part VI, ex- mine price reported Rs. 427.38 per tonne. In case of captive mine, the cost of production should be matched with ex-mine price. The cost of production per tonne shown in Part-VII is not matching with expenditures shown in part-II & Part-III. In part VII, The DMF & NMET cost per tonne has been shown Rs. 175.15 whereas it should be 32% of royalty amount per tonne.

02. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है एवं उपरोक्त नियमों का उल्लंघन की अनुपालना नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के प्रावधानों के अंतर्गत खान की सारी संक्रियाएं बंद की जा सकती हैं अथवा आपके विरुध्द अभियोग दायर किया जा सकता है।

03. इस सबंध में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि नियम 45(7) के उल्लंघन के लिए खनिज संरक्षण एवं विकास (संशोधन) नियम 2021 की अनूसूची—2 के प्रावधान लागू होंगे।

04. अतः आपको यह निर्देशित किया जाता है कि आप इस पत्र के जारी होने की तिथि से 30 दिवस के भीतर कारण बताएं कि उपरोक्त अपराध के लिए पैरा 02 एवं 03 में वर्णित कार्यवाही क्यों न की जाए।

05. कृपया ध्यान रखें कि भविष्य में आपको इस संदर्भ में कोई सूचना नहीं दी जाएगी ।

विश्व सहायक खान नियंत्रक भारतीय खान ब्यूरो

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित :-

- 1 खान नियंत्रक (उत्तर), भारतीय खान ब्यूरो, उदयपुर (ई.मेलद्वारा)।
- 2 निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, उदयपुर, राजस्थान।
- 3 खिन अभियंता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, सोजत, जिला-पाली, राजस्थान।
- 4 रक्षित पत्रावली।

वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक भारतीय खान ब्यूरो